संख्या-44/2019/625 ई-2/तेरह-2019-121/2013

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 मई, 2019

विषय:- प्रोपराइटर श्री राममूरत यादव पुत्र श्री बरखू यादव, निवासी ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ एवं श्री रामबेलास प्रजापति पुत्र स्व0 बालचन्द्र प्रजापति, निवासी मुहल्ला पूरा खिजिर, मुबारकपुर, आजमगढ़ द्वारा संचालित आर0आर0 रेस्टोरेन्ट, अमुड़ी, मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृ ष्ठांकित अपने पत्र सं0-729/42-2-(2017-2020)एल0बी0ए0, दिनांक 16 फरवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण मेंआपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 12-02-2019 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-498/दस-लाइसेंस-109/एफ0एल0-6,7/ आर0आर0 रेस्टोरेन्ट /2018-19/ आजमगढ़, दिनांक 11 मार्च, 2019 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रोपराइटर श्री राममूरत यादव पुत्र श्री बरखू यादव, निवासी ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ एवं श्री रामबेलास प्रजापति पुत्र स्व0 बालचन्द्र प्रजापति, निवासी मुहल्ला पूरा खिजिर, मुबारकपुर, आजमगढ़ द्वारा संचालित आर0आर0 रेस्टोरेन्ट, अमुड़ी, मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के संबंध में इस शर्त के साथ एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों को वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हाकन व वैले पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी, अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में व अग्निशमन विभाग की अनापित्त जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा, सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी0एफ0एम0डी0(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था की जायेगी। उक्त व्यवस्था होने के उपरान्त ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-44/2019/625(1)ई-2/तेरह-2019तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-498/दस-लाइसेंस-109/एफ0एल0-6,7/आर0आर0 रेस्टोरेन्ट/2018-19/ आजमगढ़, दिनांक 11 मार्च, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।